न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या : 9 / 2017 दिनांक: 31-10-17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का काकड़वाला ने रिपोर्ट (पी–14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल .... [illegible] पुत्र [illegible] जाति बिश्नोई साकिन काकड़वाला 7 CHD ने चक 7 BHM के मुरब्बा नं0 45/26 के किला नं0 [illegible] रकबा 10.14 बीघा 10.14 — राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति बिश्नोई साकिन काकड़वाला 7 CHD चक 7 BHM मु0 नं0 45/26 कि0नं0 — ..... रकबा 10-14 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 2.14 का 50 गुणा रूपये 107 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बावत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31-10-17 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर

तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर (बीकानेर)

Scanned by CamScanner